

(रा.स. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपर्युक्त अभिलेखी गोदय
- सिवावा सिवावा बालोतरा
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम फूलठा की जमाबन्दी संवत् 2022-80 खाता
संख्या 217 में मेरा/हमारे नाम खीमसिंह पुत्र खीरा

दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम खीमसिंह पुत्र खीर सिंह

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा कराये ।

दिनांक :-

खीमसिंह
हरताक्षर प्राची/प्राथोगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्राची के आधार कार्ड के अनुसार खीमसिंह पुत्र खीरा के
स्थान पर खीमसिंह पुत्र खीर सिंह शुद्ध किया जाना
जाना है।

17.10.25
प. सावंत

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

Com NO. 2025/664

आदेश

क्रमांक / ग. को.शि. / 1732

दिनांक 17/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम फूलठा की जमाबन्दी संवत् 2022-80 के खाता
संख्या 217 में खीमसिंह पुत्र खीरा

के बजाय सम्मान सूचक इत्यादि

खीमसिंह पुत्र खीरसिंह

की जाती है तदनुसार वे अपने सम्बन्ध में कार्यवाही की जावे ।



कंप्यूटर में प्रविष्टि करने के लिए QR कोड स्कैन करें



उपरोक्त अभिलेखी सिवावा
संपर्क अधिकारी
सिवावा (बालोतरा)